

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) विविध ल०स० राँची-26/2014

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री केदार नाथ सिंह, तदेन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला द्वारा विधान सभा आम चुनाव - 2014, क्लस्टर सं०-05 टोंगो थाना-चैनपुर के सेक्टर सं०-14 के सेक्टर दण्डाधिकारी के रूप में उनके द्वारा मतदान कर्मियों की जान जोखिम में डालने एवं एस०ओ०पी० के विपरीत कार्य करने के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक- 207 दिनांक 15.01.2015 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक 2499 दिनांक 22.05.15 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आरोप का विवरण :-

विधान सभा आम चुनाव 2014, क्लस्टर सं०-05, टोंगो थाना चैनपुर के सेक्टर दण्डाधिकारी श्री केदारनाथ सिंह द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार मतदान के बाद मतदान कर्मियों के साथ दिनांक 25.11.2014 की रात्रि क्लस्टर में विश्राम न कर सीधे कार्तिक उराँव महाविधालय गुमला वज्रगृह में EVM जमा कराया गया। इन्हें दिनांक 26.11.14 को ROP में सुरक्षा बल के साथ लौटना था। इस प्रकार उक्त सेक्टर पदाधिकारी द्वारा दिये गये सुरक्षा निदेशों का अवहेलना किया गया है तथा जोखिम लेकर EVM जमा कराया गया है जो उनके कर्तव्य के प्रतिकूल था।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गयी है तथा चुनाव कार्य में सावधानी नहीं बरती गयी है। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह को दोषी मानते हुए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक 244 दिनांक - 20.01.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :-

(क) निन्दन।

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(3) श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की पुनः विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा में श्री सिंह के द्वारा कोई नया तथ्य/साक्ष्य समर्पित नहीं करने तथा संचालन पदाधिकारी के द्वारा मतदान कर्मियों के जान को जोखिम में डालने एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप को प्रमाणित पाये जाने के कारण श्री सिंह की द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत किया जाता है तथा श्री सिंह को पत्र निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है :-

(क) निन्दन।

(ख) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ग) निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

(4) उक्त निर्णय पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

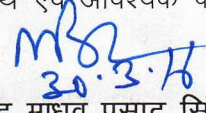
ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 1973

राँची, दिनांक - 04.04.16

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल गुमला/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/उप सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री केदारनाथ सिंह, कनीय अभियंता मुख्य अभियंता कार्यालय, लघु सिंचाई राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव